

क्रमांक/मा.चि./2018/413

प्रति,

प्रोजेक्ट हेड,
खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड
सनावद

विषय:- Diversion of 39.437 ha. Reserved Forest land for Construction of 765 KV D/C Hexa Khandwa - Dhule Transmission line in favour of Project Head, Khargone Transmission Limited, Khargone & Barwani District of Madhya Pradesh.

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC031/2017-BHO/335 दिनांक 07.11.2017
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/माचि/6335 दिनांक 8.12.2017

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ क्रमांक 2 में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-4/106/2017/10-11/3896 दिनांक 29.12.2017 में दिये गये निर्देशानुसार, मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा के आदेश क्रमांक/व्यय/2018/36 दिनांक 24.01.2018 द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर औषधीय पौधारोपण की योजना में पाई कमियों/त्रुटियों का निराकरण कर निम्नानुसार संशोधित मांग पत्र अनुसार राशियां जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

शर्त क्रमांक- 3(a) (i) एवं 4 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की निम्नानुसार राशि भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

अ.क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	राशि रुपये में
1	कक्ष क्र. 139	24.000 हे.	1,22,67,055 / -
योग			1,22,67,055 / -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/ 2074 दिनांक 02.08.2014 में दिये गये निर्देशानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि का निम्नानुसार डी0डी0 वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बड़वाह के नाम बनाकर प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

अ.क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	10% पर्यवेक्षक शुल्क की राशि	योग
1	कक्ष क्र. 139	24.000 हे.	12,26,706 / -	12,26,706 / -
योग			12,26,706 / -	12,26,706 / -

शर्त क्रमांक- 3(a) (ii) एवं 4 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की निम्नानुसार राशि भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

अ.क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	राशि रुपये में
1	कक्ष क्र. 95	55.50 हे.	2,69,06,068 / -
योग			2,69,06,068 / -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/ 2074 दिनांक 02.08.2014 में दिये गये निर्देशानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि का निम्नानुसार डी0डी0 वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बड़वाह के नाम बनाकर प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

अ.क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	10% पर्यवेक्षक शुल्क की राशि	योग
1	कक्ष क्र. 95	55.50 हे.	26,90,607 / -	26,90,607 / -
योग			26,90,607 / -	26,90,607 / -

शर्त क्रमांक- 5 (a) के अनुसार N.P.V. की राशि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No. 5-3/2007 FC दिनांक 05.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार (Eco Class-III Consisting Of Tropical Dry Deciduous Open Forest Class-III) दिये प्रावधान अनुसार रूपयें 6.26 लाख प्रति हे० की दर से 11.866 हे० के लियें रूपय 74,28,116/- (चौहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार एक सौ सोलह मात्र) भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

डायवर्टेड वन भूमि की नेट प्रजैक्ट वेल्यु की अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अंतिम निर्णय के अनुसार राशि जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त क्रमांक- 4 के अनुसार बोनी प्रजाति के मेडिशनल प्लांट्स की योजना अनुसार औषधीय वृक्षारोपण की निम्नानुसार राशि भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

अ.क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	राशि रूपये में
1	कक्ष क्र. 317, 326, 327	1.772 हे०	10,20,106 / -
योग			10,20,106 / -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/2074 दिनांक 02.08.2014 में दिये गये निर्देशानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि का निम्नानुसार डी०डी० वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बडवाह के नाम बनाकर प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

अ.क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	10% पर्यवेक्षक शुल्क की राशि	योग
1	कक्ष क्र. 317, 326, 327	1.772 हे०	1,02,011 / -	1,02,011 / -
योग			1,02,011 / -	1,02,011 / -

शर्त क्रमांक-10 के अनुसार वृक्ष विदोहन की राशि 17,043/- का डी०डी० वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बडवाह के नाम बनाकर प्रस्तुत करे।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त शेष शर्तों का पालन करने हेतु वचन पत्र (Under Teking) इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न:- मु.व.सं. खण्डवा वृत्त खण्डवा का आदेश क्रमांक/व्यय/2018/36 दिनांक 24.01.18

(एम.एच.हरित)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बडवाह

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./2018/414

बडवाह, दिनांक 27-1-18

प्रतिलिपि:-1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (संलग्न:- मु.व.सं. खण्डवा वृत्त खण्डवा का आदेश क्रमांक/व्यय/2018/36 दिनांक 24.01.18)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बडवाह

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सेंधवा (सा) वनमण्डल, सेंधवा जिला - बड़वानी (म.प्र.)

Tel & Fax (o) 07281-228408 (Pin code- 451666)

Email - Dfotsndwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2018/325

सेंधवा, दिनांक 22-2-18

प्रति,

✓ प्रोजेक्ट हेड,
खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड
सनावद,

विषय:- Diversion of 39.437 ha. Reserved Forest land for Construction of 765 KV D/C Hexa Khandwa - Dhule Transmission line in favour of Project Head, Khargone Transmission Limited, Khargone & Barwani District of Madhya Pradesh.

संदर्भ:- (1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC031/2017-BHO/335 दिनांक 07.11.2017
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./4359 दिनांक 19.12.2017

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ क्रमांक 02 में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-4/106/2017/10-11/3896 दिनांक 29.12.2017 में दिये गये निर्देशानुसार मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा के आदेश क्रमांक/व्यय/35 दिनांक 24.01.2018 द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर औषधीय पौधा रोपण की योजना में पायी गयी कमियों/त्रुटियों का निराकरण कर निम्नानुसार संशोधित मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

शर्त क्रमांक-3 के अंतर्गत प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बड़वाह वनमण्डल के अंतर्गत होने से वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि के भुगतान की कार्यवाही वनमण्डल बड़वाह द्वारा प्रस्तावित

शर्त क्रमांक-4 के अनुसार बोनी प्रजाति के मेडिशिनल प्लांट्स की योजना अनुसार औषधीय वृक्षारोपण की निम्नानुसार राशि भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	राशि रुपये में
1	कक्ष क्र. 702, 699, 701, 586 (Range sendhwa) 567, 568 (Range warla)	4.115 हे0	14,41,059 / -
योग (चौदह लाख इक्तालीस हजार उनसठ मात्र)			14,41,059 / -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/2074 दिनांक 02.08.2014 में दिये गये निर्देशानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि का चालान द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सेंधवा के नाम बनाकर प्रस्तुत करें।

क्र.	स्थल का कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	10% पर्यवेक्षक शुल्क की राशि
1	कक्ष क्र. 702, 699, 701, 586 (Range sendhwa) 567, 568 (Range warla)	4.115 हे0	1,44,106 / -
योग (एक लाख चौवालिस हजार एक सौ छः मात्र)			1,44,106 / -

शर्त क्रमांक- 5 (a) के अनुसार N.P.V. की राशि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No. 5-3/2007 FC दिनांक 05.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाति वन, खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम) के अंतर्गत दिये प्रावधान अनुसार रूपयें 6.26 लाख प्रति हे0 की दर से 27.571 हे0 के लियें रूपये 1,72,59,446 / - (एक करोड़ बहत्तर लाख उनसठ

हजार चार सौ छियालिस मात्र) भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

डायवर्टेड वन भूमि की नेट प्रजेंट वेल्यु की अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अंतिम निर्णय के अनुसार राशि जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त क्रमांक-10 के अनुसार वृक्षों की विदोहन योजना मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है तदनुसार वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्तावित राशि रूपये **1,48,110/-** (एक लाख अड़तालिस हजार एक सौ दस मात्र) का चालान बनाकर **वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सेधवा** के नाम से प्रस्तुत करे। उक्त अनुमोदन उपरान्त यदि प्रस्तावित राशि कम या अधिक होती है तो संशोधित राशि से अवगत कराया जावेगा।

उपरोक्त राशि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC031/ 2017-BHO/335 दिनांक 07.11.2017 से अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में जमा करावे।

(राजेश कुमार राय)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल सेधवा (सामान्य)

पृ.क./मा.चि./2018/
प्रतिलिपि-

सेधवा, दिनांक /

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-4/106/2017/10-11/3896 दिनांक 29.12.2017 के तारतम्य में मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा के आदेश क्रमांक/व्यय/2018/35 दिनांक 24.01.2018 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति सलग्न है।
- (2) मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर आदेश क्रमांक/व्यय/2018/35 दिनांक 24.01.2018 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) राजस्व शाखा प्रभारी वनमण्डल कार्यालय सेधवा को सूचनार्थ। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/ 2074 दिनांक 02.08.2014 से दिये गये निर्देशानुसार औषधीय वृक्षारोपण परियोजना का पर्यवेक्षण शुल्क राशि **1,44,106/-** (एक लाख चौवालिस हजार एक सौ छः मात्र) एवं वृक्ष विदोहन राशि **1,48,110/-** (एक लाख अड़तालिस हजार एक सौ दस मात्र) आवेदक विभाग से चालान प्राप्त होने पर उक्त राशि राजस्व मद 0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) विविध प्राप्तियों में जमा की जाकर सूचित करे।

सी -

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल सेधवा (सामान्य)